

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक/चार-12-5/2023

जबलपुर, दिनांक.....26...../02/2024

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के आदेश 446 दिनांक 23.12.2023 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1(यूनिक एम्पलाई कोड 250002755) का वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छतरपुर का वेतन निर्धारण संशोधित किये जाने से रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/2015 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा श्री श्रीवास्तव का उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति दिनांक से किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

म.प्र. न्यायिक सेवा का वेतनमान, प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति का दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 144840-194660 /-(जे-5) में वेतन का निर्धारण।		
		वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
122700-180200/-(Level -4)	15/07/2016	-	144840/-	15/07/2016
142240/-		15/07/2017	149190/-	01/07/2017
01/06/2016		15/07/2018	153670/-	01/07/2018
		15/07/2019	158280/-	01/07/2019
		15/07/2020	163030/-	01/07/2020
		15/07/2021	167920/-	01/07/2021
		15/07/2022	172960/-	01/07/2022
		15/07/2023	178150/-	01/07/2023

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


(रविशंकर डेकाटे)



ओ.एस.डी.(लेखा)

जबलपुर, दिनांक 26...../02/2024

पृ. क्रमांक/चार-12-5/2023
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली/कटनी/ग्वालियर/सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक 5343/2024 दिनांक 16.01.24 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. रीडर टू ओ.एस.डी.(लेखा)/सहायक सेवापुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

डेमन


ओ.एस.डी.(लेखा)
24/02/2024